REGISTERED No. D. (D.N.)-72

'शीकाशी सं. वी. (थी.पून.)-72



असाधारए। EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II--Section 3--Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323]	নই ৰিল্লী, যুক্ষৰাং, জুন 27, 1986/आधाর 6, 1908
No. 323]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1986/ASADHA 6, 1908

हस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

शिस मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विवेश कर विभाग)

नई दिल्लो, 27 जून, 1986

- प्रधिस् धना

<u>ज्यायकर</u>

सा.का.नि. 915'ल) -- ग्राम पर कर की बादत बोहरे कराधान का परिवर्जन ग्रीर राजवित्तीय ग्रथवंदन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा थाई सैण्ड म(म्राज्य की; सरकार के बोच हुए संलग्न घ्रभिसमय का मनुसमर्थन हो गया है सथा उक्त घ्रभिसमय के भनुष्छेद 28 ढ़ारा घ्रपेक्षित के ग्रनुसार ग्रनुसमर्थन की लिखतों का 13 मार्च, 1986 को धादाम-प्रवान हो गया है;

भतः, केन्द्रीय सरकार, माय-कर घधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 90 मोर कंपनी (ल'म) भतिकर घधिनियम, 1964 (1964 का 7) को धारा 24क द्वारा प्रदेश मक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है कि उक्त म्रामिसमय के सभी उपबन्धों को भारत के संघ में प्रभावी किया जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार धौर वाईलैंड राज्य की सरकार के बीच ग्रायपर डोहरे कराधान के परिहार धौर रार्जस्व के प्रपर्वचन को रोजने के सिए धजिसमर्थ

भारत गणराज्य की सरकार धौर

थाईलैंड राज्य की सरकार

चाय पर दोहरे कराझान के परिहार और

राजस्व के प्रपधंचन को रोकने के लिए

ममिरामय सम्पन्न करने की इच्छा से

मीचे लिखे प्रतुसार सहमत हुई है:

459 GI/86--1

-

(1)

भध्याय I

भौगसभय का क्षेत्र-विस्तार

भनुच्छेद ।

वयक्तिक क्षेत्र

यह प्रमिशमय उन व्यक्तियों पर कागू होगा जो किसी एक मयबा दोनों संविदाकारी राज्यी के निवासी हैं।

भनुच्छेच 2

ग्रभिसमय के भग्तगंत भाने वाले कर

 यह माधिसमय प्रस्पेक संविदाणारी राज्य प्रचवा इसके राजनीतिक उप-प्रभागों भयवा स्थानीय प्राधिकाणों की मोर से माय पर लगाये जाने याले करों पर लागू होगा, चाई वे कर किसी भी तरह से लगाये जाते हों।

2. ष्टुल जाय, अथका आय के तत्वों पर लगाये गये करों को कांय पर फरों के रूप में माना जाएगा जिसमें पल घथवा भ्राचल संपत्ति के भ्रम्तरण से हुए अभिल भों पर लगाये जाने वाले कर भौर उद्यसों द्वारा धवा की गई मज़कूरी भववा थेतन की कुल रक्तमों पर लगने वाले कर भो णामिल हैं।

3. यह ग्राधिसमय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे हैं :----

- (क) भारत के मामले मे
- (i) आधकर, जिसमें आधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
 के भ्रस्तगंत उम पर लगाया जाने वाला कोई भी भधिमार शामिल है; और
- (ii) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7)
 के प्ररस्तर्गत लगाया जाने वाला प्रतिकर,

(जिसे इसके पण्चात् "भारतीय कर" कहा गया है) ;

- (ब) वाईलैण्ड के मामले मे:
- (i) आयकर; भौर
- (ii) पेट्रोलियम भायकर,
- (जिसे इसके पत्रचात् "बाई कर" कहा गया है)।

4. यह भगिसमय किन्हीं समरूप भयवा सारतः वैसे ही करों पर गी लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर की तारीख के पश्चात् इस मनुभ्छेव के पैरा 3 में उल्लिखित करों के मतिरिक्त भयवा उनके स्थान पर लगाये जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिभूचित करोने।

धव्याय II परिभाषायें धनुष्ण्येद 3 सःमान्य परिभाषायें

 इस मभिसमय के उद्देग्यों के लिथे, जब तक संदर्भ से ध्रम्यचा मपेक्षित न ही:

(क) "भारत" शब्द में भामप्रेत है, भारत का राज्य क्षेत्र मौर उसमें गामिल है राजभोतीय सनुद्र घौर उसके ऊपर का ग्राकाशी क्षेत्र तथा राजधोत्रीय सागर खण्ड महाधोपीय मग्ततट पूमि, भनम्य गायिक-क्षेत्र श्रीर समुद्री क्षेत्र घांधनियम, 1976 (1976 का प्रधिनियम संख्यांक 80) में प्रलिखित कोई भी भ्रन्य समुद्री क्षेत्र गामिल है जिसमें मारत के प्रभुता-सम्पन्न प्रधिकार हो भौर स्वर्राष्ट्रीय कानूनों के मनुसार जिस सीमा तक उनमें इन मधिकारों का प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है कि मानो इस प्रकार का समुद्री कोज भारत के राज्य-कोज का एक हिस्सा है;

- (ख) "पाईलैण्ड" मल्य से भविप्रेस है थाइलैंण्ड का राज्य हैंसीर उसमें पाईलैण्ड के राज्य के राजकोत्रीय समुद्र से लगा वह कोई भी समुद्री क्षेत्र गामिल है जो याई कानूम, मौर मन्सर्राष्ट्रीय कानूम द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में निविष्ट किया गया है मणवा इसके बाद मिरिष्ट किया जा सकेगा जिसके मन्तगंस पाईलैण्ड के राज्य के मधिकारों का प्रयोग किया जा सके;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" मौर "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदो से संदर्भ की मपेका के मनुसार भारत भयवा याईलैण्ड मभिप्रेत है;
- (भ) "कर" पद से, संदर्भ की घपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर प्रथवा याई कर घमिप्रेत है;
- (ङ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्टि, कंपनी मौर कोई धस्य सत्ता सामिल है जिसे प्रलग-प्रलग संविदाकारी राज्यों में लागू ' कराधान कानूनों के प्रधीन कर लगने योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;
- (ज) "कम्पनी" पद से कोई भो ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में सागू कराक्षान कानुनों के अधीन कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;
- (छ) "एक संविवाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविवाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालिस उद्यम ग्रमिप्रेस हैं;
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" से ममिप्रेन हैं, भारत के मामले में, केफ्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ग्रथवा उनका प्राधिकृत प्राधिकारी ; ग्रीर गाईलैण्ड के मामले में वित्त मंत्री ग्रयवा उलका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (झ) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है संविधाकारी राज्य की राष्ट्रिकता घारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भौर कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदारी, संस्या भौर संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनो से घपनी हैसिंगत प्राप्त करने वाली कोई मन्य सत्ता;
- (ञ) "मग्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद से म्रामिप्रेस है, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान या बायुयान द्वारा किया जाने वाला परिवहन, खिवाय ऐसी स्थिति के अहां जलयान म्रमवा बायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्वानीं के बीच परिकालित किये खाते हों।

2 संविवाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस भूभिसमय के ज्यबन्धों को ल.गू करने में, किसी भी पद का जो यहां परिभाषित महीं हुमा हो, संदर्भ में जब तक मन्यया भ्रपेक्षा महीं हो, तब तक वही मर्म होग। जो जसका उस संविदाकारी राज्य के उन करों के संबंध में प्रवृत्त कानूनों के भन्तर्गत होता है जो इस मजिसमय के विषय है।

मनुम्छेव 4

निवासो

1 इस अभिसमय के प्रयोजमों के लिये, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के का नूनो के अधीन, अपने अधिवास, निवास, निगमोकरण का स्थान, प्रथन्घ का स्थान या इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण, उसमें कर लगने योग्य है। 2 जहां पैराप्राक 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्टि दोनों संविदा-ारी राज्यों का निवासी हो, तो इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए उसको निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के धनुसार निक्षित की आएगी:----

- ≱(क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे कोई स्थाई निवास-गृह उपलब्ध हो। सदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके क्यक्तिगत भौर भाषिक संबंध घनिष्टतर हैं (जिसे इसके बाद उसका "महत्यपूर्ण हिसों का केम्ब्र" के रूप में उल्लिबेबत किया जाएगा);
- (ख) यदि उस संविधाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हिंशों का केन्द्र हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, झथवा यदि उसे किसी भी संविदाकारो राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, सो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासो म.ना जाएगा जिसमें वह झामतीर पर रहता हो;
- (ग) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों में आमतौर पर रहता है भ्राववा इनमें से किसी में भी महीं रहता है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना आएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;
- . (घ) यदि वह दोनों संविधःकारी राज्यों का राष्ट्रिक है ग्रयण किसी का भी राष्ट्रिक गहीं है, तो संविदाकारी राज्यी के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रक्ष का निर्णय करेंगे।

3 जहां पैराग्राफ 1 के उपबस्धों के कारण, व्यक्ति से भिन्न कोई व्यफिट, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी प्रक्त को पारस्पिरिक सहमति से प्तय करेंगे।

भनुज्छेव 5

·स्थायी मंस्यापन

1 इस झभिभमय के प्रयोजन के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का झर्च होगा कारोबार का वह निश्चित स्थान जिसके माध्यम से उधम का कारोबार पूर्णतः ग्रथवा भंगतः किया जाता है।

2 "स्यायी संस्थापन" में निम्नलिखित शामिल होंगे :---

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (ध) कोई कारखाना;
- (क) कोई कार्यशाला;
- (ख) कोई खान, कोई खवाभ, तेल मयवा गैस का कोई कुंमा, ग्रथया प्राइतिक संसध्वनों के निष्कर्षण का कोई ग्रम्य स्थान;
- (छ) फार्म, बाग प्राथव। ऐसा अन्य स्थान जहां कृषि, बन संपत्ति, बागवान प्राथवा उनसे संबंधित कार्यकलाप किये जाते हैं;
- (ज) कोई भवन स्थल प्रथया मिर्माण-कार्य, संयोजन-परियोअना प्रथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यवाई, जहां इस प्रकार का स्थल, परियोजना या कार्यवाही उसी प्रयवा किसी संबंधित परियोजना के लिये कुल मिलाकर 183 दिन से प्रधिक की ध्रवधि ग्रथवा ब्रवधियों के सिये जारी रहती हो;
- (म) दूसरों का भण्डारण की सुविधार्ये देने वाले व्यक्ति से संबंधित कोई माल गोवाम;

- (त्रे) एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा कर्मजारियों अभवा दूसरे कार्मिकों के जरियें सेवार्ये प्रस्तुत करना, जिसमें परामर्शदाक्षी सेवार्ये भी ग्रामिल हैं, बणतें कि उग प्रकार के कार्य (उसी स्रयवा उससे संबंधित किसी परियोजना के लिए) दूसरे संवि-दाकारी राज्य में कुल मिलाकर 183 दिन से म्राधिक की म्रवधि मथया ग्रवधियों के सिये जारी रहते हो।
- 3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल मही माना आएगा:
- (क) किंसी उद्यम के माल प्रथवा तिजारतों माल के कैवल भण्डारण भणवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाप्रों का प्रयीग:
- (ख) केवल भण्डारण, प्रवर्शन भ्रयवा डिलीयरी के प्रयोजनार्थ जधम के माल भ्रथवा तिजारती माल का स्टाक रखना;
- (ग) किसी प्रस्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किमे आने के प्रयोज-नार्थ उद्यम के माल प्रायक। तिजारती माल का स्टाक रखना;
- (भ) फिमी उद्यम के लिए माल भयवा तिजारती माल का केवल कय करने सववा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनव्य कारबार का कोई निविचत रवान रखना;
- (क्र) उग्रम के लिए, अनन्य रूप से विधापन वेने, सूचना प्रदाभ करने, बैशानिक अनुसंधान अथवा ऐंसे ही झन्य कार्यकलापों के निये, जो प्रारंभिक क्षयवा सहायक स्वरूप के हो, कारोबार का कोई निष्थिस स्थान रखना।

4 पूर्षवर्ती पैरायाफों के उपबंधों के होते हुए भी, दूसरे संविदाकारी राज्य के फिसी लखम की भोर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई ऐसा व्यक्ति (जो दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट प्रयदा स्वतंत हैसियत के फिसी भी भन्य एजेंट से भिक्स हो भीर जिस पर पैरा-प्राफ 5 लागू होता है) प्रथमोल्लिखित राज्य में रथाया संस्थापन माना जाएगा, यदि :

- (क) उसे प्रथमोरिसधित संविताकरो, राज्य में उस उधम के सिये प्रथवा उसके नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का द्यधिकार है ग्रीर प्राय: उसका प्रयोग करता है, जस तक कि उसकी गति-विधियां उस लधम के लिए माल द्रथवा सिजारती मास खरीदने तक ही सीमित्त न हो;
- (ख) वह प्रयक्षोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रायः उस स्वम के माल प्रयवा तिजारती माल का स्टाक रखता हो जिसमें सं यह उदाम की झोर से नियमित रूप से माल ग्रथका तिजारती माल की डिलीवरी करता है; ग्रणवा
- (ग) वह, प्रयमोस्लिखित राज्य में, समप्रतः व्यथा लगभग समग्रतः डबम के लिए भयवा उस जबम के लिए भौर मन्य डबमों के लिये, जो उससे नियंत्रित होते हों म्रयवा जिनका उसमें नियंत्रक द्वित हो, प्रायः आर्थर प्राप्त करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संक्लिशकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायों संस्थापन होना नहीं माना आएगा कि बह उम दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्थ कर्मायन एजेंब अप्रधा स्वसंत हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोजार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप में कर रहे हों। यह वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा बलाल या एजेंट उस दूसरे राज्य में पैराग्राफ 4 में दर्णित कार्यकलापों को पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उज्यम के लिए अपता प्रायः के लिए अपता प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उज्यम के लिए अपता प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उज्यम के लिए अपवा उस उद्यम के लिए और दूसरे उद्यमों के लिए जो उससे नियंत्रित होते हों अथवा जिनका उसमें नियंत्रक हित हो, करता हो।

6. यह तथ्य कि कोई कांपनी, जो एक संक्षित्राक्षारी राज्य की नियासी है, कियी ऐयो कारी की निर्देति करती है अथवा उससे नियंग्रित होती।

[PART II-SEC. .

है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (भाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यभ से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, उन दोनों में से कोई भी कंपनी स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

7. इस अमुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों थे होते हुए भी, एक संविदा-कारी राज्य के बीमा उद्यम का, पुतर्वोमा के मामलों को छोडकर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना समझा जाएगा, यदि यह उस राज्य के राज्यक्षेत्र के प्रवर बीमा की किस्तें वसूल करता है या किसी कर्मचारी के जरिये अथना किसी प्रतिनिधि के जरिये, जो उस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 के अर्थों में स्वतंछ हैसियत का एजेंट नहीं है, बहा स्थित जोखिम का बीमा करता है।

अध्याय III

आय का कराधान

- সন্তু ক্ত ব 6

मचल संपत्ति से आय

 अखल संपत्ति (जिसमें क्रुधि ग्रीर बन-संपत्ति से आय शामिल है) से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेना जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2. "अघल संपत्ति" पद का अर्थ वह होगा जो उस संविकालरो राज्य के कानूनों के अनुसार उसका अर्थ होता है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये गामिल होंगे---अचल संपत्ति के उप साधन के रूप में संपत्ति, छुषि ग्रीर वन-विज्ञान में प्रयुक्त पणु-घन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामाग्य कानून के उपबंध लागू होते हो, अखल संपत्ति को सोगने के अविकार धौर खनिज भण्डार, स्रोत, तथा अन्य प्राक्टतिक संसाधनों के संवालन के लिए अपबा कार्य कहने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; स्रोत तथा अन्य प्राक्टतिक संसाधन, जल-यान, मौकाए तथा जिमान अचल संपत्ति नहीं माने आएंगे।

3. पैरायाफ 1 के उपबंध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने, अभवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 ग्रीर 3 के उपबंध, फिसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वासी आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवामों के निष्पृदन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वासी आय पर भी सानू होंगे।

बनुच्छेद ७

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की आय अयता लाभ पर कर केवल उस राज्य में हो लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सविवाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार महीं चलाता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम की आय अथवा लाभ पर दूसरे राज्य में कर सगाया जा सकेगा परन्तु केवल उसनी ही आय भीर लाभ पर कर लगाय जा सकेगा जो निम्नलिखित के कारण हुए माने जा सकते हैं।

(क) उस स्थायी संस्थापन ;

(ख) उस दूसरे राज्य में वैसे ही अथवा उसी प्रकार के माल अथवा तिजारती माल की विकी जैसे कि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से वेचे जाते हैं ; धथवा (ग) उस दूसरे राज्य में किये गये वैसे ही अथवा उसी प्रकार व्यावसाविक कार्य जैले उस स्थायी संस्थापन के माध्यम किये आते हैं।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविद्भु कार्र। राज्य में स्थिप किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम ते उसमें कारोबार पगरता है; यहां प्ररयेक संविदाकारी राज्य में उन स्थायी संस्थापन के पारण उपको उन आग भीर लाभ का होना माना जाएगा जिसके प्राप्त होने की अपका तब रहती जब वह उन्हीं अथवां बैसी ही परिक्षियतियों के मांत्रगंत, उन्हों अपवा बैभे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निषित अथवा अस्था उद्यम होना, भीर जिस उद्यम का वह स्थायी संस्थापन है उसके साथ संपूर्णतः स्वतंत रूप से व्यवहार करता हो।

3. किसो स्थायी संस्थापन की आय धीर लाभों के निर्दारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वोक्तति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किये गये हों, जिनमें इस प्रकार किये गये कार्यकारी तथा सासान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किये गये हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थत है अथवा अध्यक्ष

4. जहां तक इस बात का संबंध है कि किसी गंविवाकारी राज्य में किसो उद्यम की कुल आग धौर सामों की उद्यम का गहन प्राप्तियों भ कुछ प्रतिशत-अनुपात के आधार पर वा विभिन अंगों में अनुमाजन के आधार पर, किसी स्थायो संस्थावन के कारण माने जाने वाली आम भोर सामों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां इन अनुब्धेत्र के पैरायाफ 2 की कोई भी व्यवस्था उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथाश्वदि अनु-भक्ष पद्धीं से कर जरने योग्य आय तथा लाभों को निर्धारत करने से नहीं रोनेगी ; सवापि, अवनाई गई अनुभाजन पद्धति ऐसी होनी कि उसका परिणाम इस अनुब्धेत्र में निहित सिद्धानों के अनुसार होगा।

5. कोई आय मा लाभ ∞माल इस.कारण स्थायी तंस्यापन को हुए नहीं मानें आयेगें कि उस स्थापी तंस्थापन द्वारा उग्रम को िए माल क्थयता तिजारती वस्तुएं खरीदी जाती हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराप्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्वायो संस्थापन के कारण माने जाने वाली आय ग्रीर लाशों का तब तक उमा पद्धति में वर्षानुवर्ष निर्धारित किया आएगा जब तक कि उसके विपरीत कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नक्षे हों।

7. जहां आय भीर लाभ में आय की वे मर्दे शातिल हों, जिनका इस अभिसमय के अन्त्र अनुच्छेदों में अलग में वित्रेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुष्ठेद्र के उपबंधों से प्रमावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा विमान परिवहन

 एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की घंतर्राष्ट्रीय यातायात में विभान परिचालन से होने वाली आय पर कर केवल उस रोबिदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. एक संबिदाकारी राज्य के किसी उग्रम की, ग्रंतरांब्ट्रीय यातायात में जलवानों के परिवालन से होने वाली आय पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा, लेकिन उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाये गये कर में से उसकी 50 प्रतिग्रन रफम कम कर दी जाएगी।

3. इस अनुन्धेद के पैराग्राफ 1 भीर 2 को उपबंध किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा वायुपान सथा जलयानों के धरिवालन में लगी किसी अग्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेग्सी के भाग लेने से प्राप्त होने वाली • आय पर भी लागू होंगे।

4

4. पैराग्राफ 1 ग्रीर 2 के प्रयोजनों के लिये, ग्रंतर्राष्ट्रीय यातायात् में जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से संबंधित, निधियों पर व्याज को ऐसे जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से होने वाली आय माना द्र्यूपूर्णा।

5. "जलयान अथवा विमान परिवालन" पद का अर्थ होगा जलयानों अथवा विमानों से व्यक्तियों, डाक, पशु-धन, अथवा माल के लाने-ले जाने का कारोबार, जिसमें जलयानों अथवा विमानों का आकस्मिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कोई भी गतिविधि शामिल है।

अनुच्छेद 9

सम्बद्ध उद्यम

जहां :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अयवा पूंजी में प्रत्यक्षत अथवा परोक्षतः भाग लेता है, अयवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंव्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः भाग लेते हैं,

भौर दोनों ही मामलों में, दोनों उद्यमों के बीच वाणिज्यिक अथवा विसीय संबंधों में ऐसी जतें रखीं अयवा लगाई जाती हैं जो बैसी मतों से जिन्न हैं जैसी स्वतंद्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसे कोई लाभ जो, उन गर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन गर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे तथा उन पर तदनुसार कर लगाया जाएगा।

ग्रनुच्छेद 10

लाभौँश

 किसी कंपनी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को ग्रदा किये गये लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. सेकिन, इस प्रकार के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी निवासी है, तथा यह कर उस राज्य के कानून के झनुसार लगाया जाएगा परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी कोई ऐसी कंपनी है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, तो इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :---

- (क) जिस मामले में लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी किसी औद्यो-गिक उपकम में कार्यरत हो और लाभांश की हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारीं राज्य की कंपनी हो, जिसके पास लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत मता-धिकार शेयर हों, वहां लाभांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत ?
- प्रियमा उप-पैराप्राफ (क) के प्रधीन नहीं ग्राने वाले मामले में, लाभांश की सकल रकम, का 20 प्रतिशत यदि लाभांश करने वाली कंपनी किसी औद्योगिक प्रयोगम्ब हैं कार्यरत हो अख्या यदि लाभांश का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य की कंपनी है जिसके पास लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी के कम से कम 25 प्रतिशत मताधिकार श्रेयर हैं।

- 3. (क) इस मनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लामांझ" पद का झर्थ है ऐसे शेयरों झथवा ग्रन्य झघिकारों से प्राप्त ग्राय जो ऋच-दावे नहीं हों, लाभों में शामिल हो तथा श्रन्य निगमित झघिकारों से प्राप्त वह झाय है जो उन संविदाकारी राज्य के कराघान कानून के अनुसार शेयरों से प्राप्त झाय में समाहित हो जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी हो।
 - (ख) इस ग्रनुच्छेद में "औद्योगिक उपकम" पद का अर्थ निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में ग्राने वाला उपकम है:
 - (1) विनिर्माण, संयोजन और संसाधन ;
 - (2) निर्माण, सिविल इंजीनियरी और जलयान निर्माण ;
 - (3) बिजली, जल-शक्ति ग्रथवा गैस का उत्पादन ग्रथवा पानी की सप्लाई;
 - (4) कृषि, वानिकी, मछली-पालन और बागान;
 - (5) औद्योगिक निवेश के संवर्धन से संबंधित दोनों ही संविदा-कारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत दिये गये विश्वेषा-धिकारों का हकदार कोई भी ग्रन्य उपक्रम; और
 - (6) कोई भी ग्रन्थ उपकम जिसे उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्ष "श्रीद्योगिक उपकम" घोषित किया जाए जिसमें वह उपकम स्थित है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, मदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी हैं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश ग्रदा करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की ग्रदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, ग्रनुच्छेद 7 ग्रथवा 14 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा भ्राय प्राप्त करती है, वहां बह दूसरा राज्य कंपनी ढ़ारा ग्रदा किये गये लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी को ऐसे लाभांश ग्रदा नहीं किये जाते ग्रथवा जहां तक कि जिस धारिता के संबंध में इस प्रकार के लाभांश ग्रदा किये जाते हैं वे उस राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हो, और न ही कंपनी के प्रवितरित लाभों पर श्रवितरित लाभों संबंधी कर लगाया जाएगा चाहे ग्रदा किये गये लाभांश ग्रथवा श्रवितरित लाभ पूर्ण रूप से प्रथवा ग्रांशिक रूप से दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ ग्रथवा ग्राय के रूप में ही हों।

ग्रनुच्छेद 11

व्याज

 एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी को घदा किये जाने वाले ब्याज पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जाएगा।

2. लेकिन, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें यह उत्पन्न होता है, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :---

(क) ब्याज को सकल रकम का 10 प्रतिशत यदि यह किसी वित्तीय संस्था ढारा (जिसमें बीमा कंपनी शामिल है) प्राप्त गण्डकी तयी हो ;

(ख) ग्रन्थ सभी मामलों में, ब्याज की सकल रकम का 25 प्रतिशत।

3. पैराप्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यद---

- (क) ब्यांज का प्राप्तकर्त्ता सरकार, स्थानीय प्राधिकरण ग्रयवा दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक हो ; ग्रथवा
- (ख) ब्याज की अदायगी किसी भी एजेंसी अथवा संस्था को की जात्ती है, जिसमें कोई वित्तीय संस्था भी शामिल है, जिसके संबंध में इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की सहमति ली जाएगी।

4. इस कनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज पद" से ग्रामिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋणं संबंधी दावों से प्राप्त ग्राय चाहे वे बंधक-पत ढ़ारा प्रति-भूत की गई हो ग्रयवा नहीं और चाहे उनको ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो ग्रयवा नहीं, और खासकर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ग्राय तथा बंध-पतों ग्रयवा ऋण-पतों से प्राप्त ग्राय, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पतों ग्रयवा ऋण-पतों के संबंध में प्रदान किये जाने वाझे प्रीमियम और पुरस्कार और उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानूब के अंतर्गत ब्याज पर दी गई रकम से होने वाली ग्राय शामिल है जिसमें ग्राय उद्भूत होती है।

5. पैराक्षफ 1 ओर 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ध्याज पाने वाला, एक संविदाकारी राज्य का निघासी होने के कारण, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुग्रा हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता हो प्रथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निष्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता ही और जिस ऋण-दावे के संबंध में ध्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन झयवा निष्चित स्थान से प्रभावी इप से संबंधित हो । ऐसे मामले में, ग्रनुच्छेद 7 ग्रथवा श्वनुच्छेद 14 के उपबंध, यधासियति, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उद्भूत हुग्रा माना जाएगा जब व्याज थ्रदा करने वाली स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण ग्रयवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज ग्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निर्वासी हो या नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन प्रायवा निष्कित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की ग्रदायगी की गई हो, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन ग्रयोवा निक्तित स्थान ढारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुग्रा माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन श्रथवा निश्वित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज ग्रदा करने वाले तथा पाने वाले के बीच श्रथवा उन दोनों के बीच और किसी ग्रन्थ ब्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, ग्रदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम ग्रदा की गई है, उस रकम से बढ़ा जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में ग्रदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच सहमति हो गई होती, चहां इस भनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम-बणित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, ग्रदायगी का ग्रतिरिक्त भाग इस ग्रभिसमय के ग्रन्थ उपबंधों का ग्रनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के ग्रनुसार कर लगने योग्य रहेगा।

ग्रनुच्छेद 12

, ł

रायल्टियां

 एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदा-कारी राज्य के किसी निवासी को ग्रदा की जाने वाली रायल्टियों पर उस दूसरे खोज्य में कर लगाया जा सकेगा। 2. लेकिन, ऐसी रायत्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिगत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस ग्रनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहिश्चिक, कलात्मक ग्रथवा वैज्ञानिक इतियों (जिसमें चलचित्र फिल्मों, फोनोग्राफिक रिकाडों मथवा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में झथवा टेप शामिल हैं) के किसी भी प्रतिलिप्यधिकार, किसी भी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माटल, प्लान, गुप्त फार्म्ला अथवा भी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माटल, प्लान, गुप्त फार्म्ला अथवा प्रतिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्रथवा प्रयोगायिकार के लिए अथवा आद्योगिक वाणिज्यिक ग्रथवा वैज्ञानिक प्रनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की ग्रदायगी जभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस हालन में लागू न्हों होंगे। यदि रायल्टी का प्राप्तकर्तां, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है ग्रथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निधिचत स्थाग से, स्वतंत्र वैय-क्तिक सेवाएं करता है, तथा लिस ग्रधिकार प्रथवा संपत्ति के बारे में रायल्टियों की प्रदायगी की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन ग्रथवा निधिचत स्थल से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, ग्रनुच्छेद 7 ग्रथवा -14 के उपबन्ध यथास्थिति लागु होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रापल्टियां उद्भूत हुई तब मानी जाएंगी, जब रायल्टी ग्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण ग्रथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदा-कारी राज्य का निवासी हो प्रथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है जिसके संबंध में रायल्टी अदा की गई थी, ग्रौर इस प्रकार की रायल्टियां उस स्वायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हैं तब ऐसी रायल्टियां उस संविदा-कारी राज्य में उदमूत हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां रायल्टी और करने वाले झौर प्राप्त करने वाले के बीच अथवा उन दोनों के झौर किर्सा अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना को घ्यान में रखते हुए जिसके लिए वे रायल्टियां अदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले झौर प्राप्त करने वाले के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपवन्ध केवल अन्तिम वणित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, जदायगियों के अधिभाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करते हुए -प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानन के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

पुंजीगत लाभ

 अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल संपत्ति के अन्तरण से हुए लाभों पर, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. चल संपत्ति, जो एक संविदाकारी राज्य के उपकम के स्थावी संस्थापन की उस व्यापारिक संपत्ति के श्रंग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल संपत्ति के ग्रंतरण से हुए लाभों पर जिसमें ऐसे स्वामी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निष्वित स्थान के भंतरण से होने वाले साभ भी जामिल हैं, उस दूशरे राज्य में कर शग सकेगा।

3. ीरा 2 के उपवर्धों के होते हुए भी एक संविधाकारी राज्य के किसक्री उद्यम को उन जलयानों अथवा वायुयामों के घंतरण से प्राप्त होने वाले लाओं पर जो उसके ढारा अस्तर्राष्ट्रीय यातायास में चलाये जाते हैं, अथवा ऐसे जलयानों या वायुयानों के परिचालन से संबंधित पल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले लाओं पर उस राज्य में कर लग सकेगा।

4. किसी संविधाकारी राज्य के निवासी द्वारा ऊपर पैराम्राफ 1,2 भौर 3 तथा अनुष्छेद 12 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के ग्रंतरण से भ्राप्त लाभ पर कर केवल उसी राज्य में झगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 14

स्वतंक्ष व्यक्तिगत लेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढ़ारा व्यावसायिक सेवाफ्रों अथवा इसी प्रकार की अभ्य स्वतंत्र सेवाफ्रों के संबंध में अर्जित आय पर केवल उनी राज्य में कर लगेगा जब तक कि ऐसे कार्य कलाप दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किए जाते । व्यावसायिक सेवाफ्रों अयवा स्वतंत्र कार्य कलापों से होने वाली आय के संबंध में, जो उने दूसरे राज्य के अन्तर्गंक्ष किए जाते हैं, उम दूसरे राज्य द्वारा कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए मी एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा बूमरे संविदाकारी राज्य में की जा रही व्यावसायिक सेवामों या अन्य स्वतंत्र कार्यंकलागों के संयंध में प्राप्त आय दूसरे राज्य में कर लगने योग्य नहीं होगी, यदि:

- (क) प्राप्तकर्ता संगत "पिछले वर्ष" या "कर वर्ष" में, जैसा भी माग्रला हो, कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहा हो,
- (ख) प्राप्तकर्ता ऐसे वर्ष में, कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में कोई निश्चित स्थान नहीं रखाता है, श्रीर
- (ग) आव उस दूसरे राज्य में स्थित किसी उद्यम अथवा स्थायी संस्थापन धारा वहन नहीं की जाती है।

3. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विषेध रूप से स्थतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलारमक, गैक्षणिक या अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, सर्जनों, धकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप पी शाभिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराभित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुष्छेद 16, 17, 18, 19, 20 धौर 21 के उपबंग्धों के अधीन रहते हुए एवं संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेसन, मजदूरी सथा इसी प्रकार के अच्य पारिश्वमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब सक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता ही, गो उस कूसरे संविदा-कारी राज्य में नहीं किया जाता हो। यदि इस प्रकार नियोजन दूसरे किया जाता है, नो उससे प्राप्त ऐसे पारिश्वमिक पर उस कूसरे संविदा-कारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, दूसरे संविवाकारी राज्य में किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारित्यमिक पर कर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही। भगेगा, यदिः

- (क) प्राप्तकर्ता, संगत "पिछले वर्ष" शयवा "कर वर्ष" में, जैना भी मामला हो, कुला मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि भयवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, बौर
- (ख) पारिश्रमिक की अवायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथजा उसकी भोर से की गई हो, जो यूसरे राज्य का निवासी नहीं है, भौर
- (ग) पारिष्ममिक दूसरे संविदाकारी राज्य के उधम द्वारा अयवा किसी ऐसे स्पायी संस्थापन था निश्चित त्थान द्वारा बहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।.

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, किसी संधिदा-कारी राज्य के उद्यम द्वारा अग्तर्राष्ट्रीय यातायास में परिचालित जलयान अथवा बायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में मिलने वाले पारि-श्वमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 16

मिदेशकों की फीस और उच्चरतर के प्रबंधकीय

अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के फिसी निवासी ढारा किसी ऐसी कंपनी के निवेशक मंडल के एक सबस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी के उच्चस्तरीय प्रबंध अधिकारी की हैसियत में प्राप्त किये जाने वाले वेतन, मजदूरी ग्रीर उसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

 अमुच्छेद 14 मौर 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्षाझों, जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीसंश और खिलाड़ियों को अपने इस प्रकार के धैयस्तिक कायों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता प्रथवा किसी खिलाड़ी ढारा प्रपती इस प्रकार को हैसियत में किए गए वैयक्तिक कियाकलागों के संबंध में प्राप्य प्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता प्रथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो प्रपितु किसी प्रम्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस प्राय पर, प्रनुच्छेद 7, 14 प्रीर 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा असमें मनोरंजनकर्ता प्रथवा खिलाड़ी ढारा ऐसे कियाकलग किए जाते हैं।

3. मनुष्छेद 7 के उपबंधों के होते हुए मी, जहां इस अनुष्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखिस कार्यकक्षाप एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा किए जाते हैं यहां ऐसे उद्यम द्वारा किए गए ऐसे कार्यकलागों से प्राप्त लाभों पर प्रथमोहिलखित संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जब तक कि उस उद्यम को ऐसे कार्यकलायों की व्यवस्थाओं के संदर्भ में दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजमिक निधियों द्वारा जिनमें उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण या सांबिधिक निकाय सामिस है, पर्याप्त रूप से सहायता नहीं वी गई हो ।

[PART II-SEC. 3(i)]

4. इस धनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध सार्वजनिक मनोरंजनकर्तामों घयवा खिलाड़ियों द्वारा एक संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यकलापों से प्राप्त लाभ, वेतन, मजक्षरी और इसी प्रकार की क्राय के पारिश्रमिक पर लागू नहीं होंगे यदि उस संविदाकारी राज्य के दौरे 'के संबंध में दूसरे संविदाकारी राज्य की तार्वजनिक निश्चियों द्वारा पर्याप्त रूप से सहायता की जाती है जिनमें उसका कोई भी राजवैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण क्राथवा सोविधिक निकाय शामिल है।

मनुच्छेद १८

सरकारी कार्य

 एक संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्तिको, जो उस राज्य का नागरिक है, दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी कार्यों को निमाने में दी गई सेवाओं के लिए थिए गए पारिश्रमिक (जो पेंशन नहीं है) पर केवल प्रथमोल्सिकित संविदाकारी राज्य मे ही कर सपेगा।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य को सरकार द्वारा जिसी व्यप्टि को दी गई पेंशन पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

3. पैराग्नाफ 1 मौर 2 के उपगंध, संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य की सरकार द्वारा लाभार्थ चलाए गए कारोबार के संबंध में की गई सेवाभों से संबंधित पारिश्रमिक धीर पेंगलों पर लागु नहीं होंगे ।

4. इस मनुष्छेद के प्रयोजनार्थं, ''सरकार[े]' शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों की कोई भी राज्य 'सरकार प्रयक्षा स्थानीय भ्रयतां सांविधिक प्राधिकरण, मौर विगेष रूप से मारतीय रिजर्व बैक सथा दैंक ऑफ वाईलैण्ड शामिल होंगे ।

मनुच्छेद 19

गैर मरकारी पेंशनें तथा वार्षिकियां

 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा दूसरे मंबिदाकारी राज्य के भ्रास्तरिक स्त्रोतों से प्राप्त हुई (भ्रनुच्छेद 18 में उस्लिखित पेंग्रन से भिन्न) किसी पेंगन या वार्षिकी पर कर केवम प्रयमोस्तिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा ।

2. "पेंधन" प्राब्द का प्रार्थ उस नियत-कालिक भुगतान से है जो विगत समय में की गई सेवाझों के प्रतिफल के रूप में या सेवाझों के निष्पादन के दौरान प्रारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जाता हो ।

3. "वार्थिकी" प्रस्थ का धर्ष उस उल्लिखित राशि से है, जो धन प्रयंता धन के मूल्य में पर्याप्त धयवा पूरे प्रतिफल के लिए, ग्रदायगियां करने के किसी दायित्व के धावीन, जीवन-पर्यन्त घथवा विनिर्दिष्ट धथवा निश्चित समयाबधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय हो ।

, मनुच्छेद 20

विद्यार्थी प्रौर प्रशिक्षु

किसी विद्यार्थी या व्यावसायिक प्रशिक्ष को, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या या मौर जो मात्र प्रगनी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमो-लिसखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

- (क) उसके भरण-पोषण णिक्षा भषवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ भनदान भत्ता या पुरस्कार;
- (ख) उसके भरण-गोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस प्रथमोल्लिखित मंत्रिदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा- उसे की गई मदायगियां; मौर

(ग) किसी भी "पिठल वर्ष" या "कर वर्ष", जैसी भी स्थिति हो के दौरान प्रथमोल्लियित संविदाकारी राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक पर, जो 15,000 रु. या थाई मुद्रा में उसके समयुत्य की रागि से भाषिक न हो, बगतें कि ऐसा, नियोजन उसके भध्ययन से सीधा संबंधित हो भाषवा जुसके भरण-पोषण के प्रयोजनाथ किया जाता हो ।

भनुण्छेद 21

प्राध्यापक, प्रध्यापक भौर शोध छात

1. किसी प्राध्यापक, अध्यापक मयवा गोध छात को, जो किसी विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय प्रथवा प्रत्य प्रनुमोदित संस्था में प्रध्यापन भयवा शोध कार्य के प्रयोजनार्थ प्रथवा दोनों कार्यों के प्रयोजमार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य. प्रथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय प्रथवा प्रनुमोदित संस्था के निमन्त्रण पर उस दूसरे राज्य. का दौरा करने के तुरस्त पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी राज्य का निवासी है प्रथया था, ऐसे प्रध्यापन भयवा गोध कार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिश्वमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से दो वर्ष से भनधिक की भवधि के लिए कर से छुट प्राप्त होगी ।

2. यह मनुचछेद शोधकार्य से प्राप्त माय पर ही लागू होगा, यदि ऐसा शोध-कार्य व्यष्टि ढारा जनहित के लिए किया जाता है मौर प्रधान-तया किसी मन्य गैर सरकारी व्यक्ति प्रयंता व्यक्तियों के लाभ के प्रयोजनार्थ नहीं किया जाता है ।

3. इस मनुच्छेद तथा मनुच्छेद 20 के प्रयोजनायें, किसी व्यप्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी तब समझा जाएगा, यदि बह उस संविदाकारी राज्य में, जिस वर्ष में वह दूसरे संविदाकारी राज्य का बौरा करता है उस "पूर्ववंतर्ती वर्ष" में वह दूसरे संविदाकारी राज्य का बौरा करता है उस "पूर्ववंतर्ती वर्ष" मयवा "कर वर्ष" में उस संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो।

4. पैराम्राफ 1 के प्रयोजनाथ, "मनुमोदित संस्था" का मर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मनुमोदित किया गया हो ।

ग्रनुच्छेद 2.2

भग्य भाष

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की माय की मयों पर, जहां कहीं उद्भूत होती हों, जिन्हें इस करार के पूर्ववर्ती ग्रनुक्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । ग्राय की ऐसी मदों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जहां ऐसी माय उद्भूत होती है।

श्वध्याय----- 4

वोहरे कराधान के श्रपाकरण की पद्धतियां

ग्रनुच्छेद 23

क्षोहरे कराधान का ग्रयाकरण

 दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू कानून भ्रपने-भ्रपने संविदाकारी राज्यों में भ्राय के कराधात को शासित करने रहेंगे, अब तक कि इस भूभिसमय में उनके प्रतिकूल कोई उपबन्ध नहीं बनाये जाते ।

2. भारत के किसी तिवासी ढारा याईलैंड में प्राप्त होने वाले लामों प्रयवा भाग के संबंध में, जिस पर मारत और याईलैंण्ड दोनों में कर लगावा गया है, याईलैंण्ड के कानूनों के घल्तर्गत और इस ग्रभिसमय के उपबन्धों के घनुसार, प्ररमक्षत: घ्रवचा कटौती द्वारा देय याईलैंण्ड के कर की रक्तम, इस प्रकार के लाभों प्रायवा धाय के संबंध में देय मारतीय कर के प्रति खाता-जमा कर के दी जायेगी, अशर्ते कि किसी ऐसी जमा (ऐसी जमा देने से पूर्व ययासंगणित) भारतीय कर की उस रकम से प्रधिक नहीं हो, जो आइलैंट में प्राप्त होने वाले लाभों ध्रथवा आय के मनुरूप हो । इशके ग्रलावा, जहां निवासी कोई ऐसी कंपनी है, जिसे भारत में ग्रतिकर ग्रदा करना है, वहां उपर्युक्त जमा प्रथम बार रंपनी द्वारा भारत में देय ग्रावकर के प्रति धी जायेगी और येथ रकम, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में धवा किये जाने वाले ग्रातिकर के प्रति जमा दी जायेगी।

3. पैराम्नाफ 2 में उलिलखित खाता-जमा के प्रयोजना के लिये, "धाईलैंण्ड का देय कर" पद में ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जायेगी जो किसी भी यर्थ के लिये धाईलैंड के कर के रूप में देय रही हो, यदि उस वर्ष के लिये झथवा उसके किमी भाग के लिये, निवेग प्रवर्धन छाधिनियम (बी॰ई. 2520) के उपबन्धों छथवा राजस्व संहिता (बी.ई. 2481) के छल्सगत जो थाईलैंण्ड में ध्यायिक विकास को बढ़ाबा देने के लिये बनायी गयी हैं क्रयवा जिन्हें इसके पण्यात् थाईलैंण्ड में झाधिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विद्यमान बानूनों में संशोधन करके झथवा उनके झलावा लागू किया जा सकेगा, के झन्सगत कर में कोई छूट झथवा कटौती नहीं दी गयी हो।

4. थाईलैंड के िसी निवासी धारा, भारत के कानूम के झन्तगत इस झभिसमय क उपबन्धों के झनुसार, भारत में प्राप्त होने वाले लाओं और झाय में प्रत्यक्षतः झयवा कटौती द्वारा देय भारतीय कर की रकम, जिस पर भारत और थाईलैंड बोनों में कर लगाया गया है, इस प्रकार के लाभों और झाय के संबंध में वेय थाईलैंड के कर के प्रति खाते-जमा के रूप में दी जायेगी, बगर्से कि खाते-जमा की ऐसी रकम (ऐसा खाता-जमा बेने से पूर्व यथानगणित) धाईलैंड के कर की उस रकम से झधिक म हो, जो भारत में प्राप्त होने वाले लाभों झयवा छाय के झनुरूप है।

5. पैरा 4 में उल्लिखित खाते-जमा के प्रयोजन के लिये, "देय भारतीय कर" पद में ऐसी कोई भी रकम शामिल समझी जायेगी जो किसी भी कर निर्घारण वर्ष के लिये भारतीय कर के रूप में देय होती यदि उस बर्ष के लिये ध्रयवा उसके किसी माग के लिये ध्रायकर प्रधि-तियम, 1961 (1961 का 43) के उपबन्धों के ग्रन्सर्गत विशेष प्रोरसाहन उपायों द्वारा, जो ध्रार्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये बंगाये गये हैं, ग्रयवा जिन्हें इसके पश्चान भारत में ध्रायिक विकास की उन्नति के लिये षिरामान उपबन्धों में संगोधन करके ध्रयवा इनके घलावा लागू किया जा सकेगा, के ध्रन्सर्गत कर में कोई छूट ग्रथवा घटौती नहीं दी गई हो ।

6. जहां इस अभिसमय के अन्तर्गत, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त भाय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, तो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य, उस व्यक्ति की गेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वही दर लागू करेगा जो इस अभिसमय के अनुसार कर से छूट दी गई बाय को छूट नहीं दिये जाने की स्थिति में लागू होती।

ग्रध्याय-- 5

विशेष उपबन्ध

मनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

 एक मंधिदाकारी राज्य की राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था छथवा सरसंबंधी ऐसी कोई भ्रवेका लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित ध्रवेकाओं से मिन्न प्रथवा भ्रधिक मास्पूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर बैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है ध्रथवा हो सकती है।

459 GI/86-2

2. एक संविदाकारी राज्य के उखम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संरथागन पर लगाया जाने वासा कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से प्रपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है ।

3. इस ग्रनुस्छेद में निहित किसी भी बात का यह ग्रर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वे किसी संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के ग्रमिवासी व्यक्तियों को कराधान के प्रयोजनों के लिये कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें, राहसें तथा घटौतियां प्रदान करने के लिये बाध्य करती हैं, जो कामून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक संविवाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिमकी पूंजी पूर्णतः झव्ववा अंधतः हूसरे संविवाकारी राज्य के एक भगवा एक से मधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः भगवा ग्रप्रत्यक्षतः स्वामित्व भयवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्शिवात संविवाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधाल भयवा तरसंधंधी कोई ऐसी क्रापेका लागू नहीं की आयेगी जो उस कराधान और तरसंधंधी भ्रापेकाओं से भिन्न भ्रयवा ग्रधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रयमोल्शिवित राज्य के घन्य वैसे ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती है भ्रयवा हो सक्सी हो सबामा हो सकसी है ।

5. इस घनुज्छेद में, "कराधान" पद का सबै उन करों से है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

भनुश्छेर 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां किसी संविवालारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक प्रथवा दोनों संविवालारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगा है ध्रथवा लगाया आयेगा वह इस ग्रमिसमय के प्रमुख्य महीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी ग्रपना मामला उस संविवाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह निवासी है। यह मामला उस कार्य की मूचना की प्राप्ति की क्षारीख से तील वधों के ग्रस्वर ग्रवस्था प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके कारण इस ग्रभिसमय के उपबन्धों के भ्रनुरूप कर नहीं लगाया गया है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के धनुरूप नहीं है, दूसरे संविवाकारी राज्य के सक्षर प्राधिकारी की परस्पर सहमति बारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. इस अभिसमय की व्याक्या करने ग्रथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां प्रथवा शंकायें उत्पक्ष हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में दोहरे काराधान के अपाकरण के लिये परस्पर विवार-विमर्श कर सकते हैं । जिनकी इस ग्राभिसमय में व्यवस्था नहीं है ।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से सहमति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । सहमति होने में जब विचारों का मौखिक- ग्रावान-प्रवान बांछनीय प्रनीत होता हो तो ऐसे आवान-प्रवान किसी ग्रायोग के माध्यम से किमे जा सकते हैं, जिसमें संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हो ।

मनुष्ट्रदेव-- 26

सूचमा का छावाच-प्रवास

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अववा बस्तावेज का आवान-प्रवान करेंने को इस घधिसमय के उपबन्धों को कार्याण्वित करने के लिये ध्रयवा उम करों के धपवंधम, उनकी घोखाछड़ी को रोकने के लिये धावस्यक हैं को इस घधिसमय के विषय हैं। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की नई सुचना अवसा वस्तावेज को उसी तरीके से गुप्त समझा जायेगा जैसे कि उस राज्य के घपने कानूनों के धन्दर्यंत प्राप्त सूचना और दस्तावेज गुप्त माने जाते हैं और केवस ऐसे व्यक्तियों भववा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रसासनिक निकाय बामिम हैं) प्रकट किया जायेगा जो उन करों के निर्घारण ध्रयता बसूली, प्रवर्तन धववा द्वाधियोजन के रारे में ध्रयता निर्घारण की ध्रयीलों से संवधित है, जो इस अधिसमय के घन्तर्गत धाते हैं। ऐसे व्यक्ति घववा प्राधिकारी इस सूचना मथवा दस्तावेज का केवल ऐसे प्रयोधनों के लिये उपयोग करोंगे। वे इस सूचना प्रथा दस्तावेज का स्वेल हो सार्वजनिक रूप हे स्थाय की कार्ववाहियों में घ्रयवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंने।

2. सूचना अपवा दस्तावेजों का मादा ने-प्रदान या तो नेभी ग्राहार पर होगा ग्रयवा विशेष मामलों के संदर्भ में भनुरोध पर या दोनों ही प्रकार के किया जा सकेगा । नेमी माधार पर दी आने वाली सूचना व्यवा दस्तावेजों की सूची के संबंध में संविदाकारी राज्यों के एक्रम प्राधिकारियों की समय-समय पर सहमति ग्रावस्थक होगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धो का वर्ष किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नसिबित दायित्व डासना नहीं होगा:

- (क) उस मयवा दूसरे संविक्तकारी राज्य का विधियों ग्रथवा प्रशास-निक प्रचा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ब) ऐसी सूचना अपना वस्तानेज देना जो एक अपना दूसरे संबिदा-कारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रकासन की सामाग्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;
- (ग) ऐसी सूचना प्रथवा वस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्रथवा रोजगार संबंधी नुप्त मेद ग्रथवा व्यापारिक प्रत्रिया धपवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृल हो।

प्रनुष्छेव 27

राजनयिक तथा कौंससी कार्य

इत प्रपिसमय में पिहित किसी भी म्पषस्या पर राजनयिक एजेंटों प्रथया कौंसली ग्राविकारियों को अंतर्राष्ट्रीय पिधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत ग्रयवा विशेष करार के उपबंधों के व्यत्गत प्राप्त विलीय विक्षेपा-धिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा।

भ्रम्याय VII			
वंतिम उपबंध			
णनुन्छेव ं28			
प्रवर्शन			

 यह इभिसमय, अनुसमर्थन दस्तावेजों के बादान-प्रदान होने पर लाबू होगा और:

(त) भारत में, जिस वर्ष में समुसमर्थन के वस्तावेजों का सावाध-प्रदान किया जाना है, उस कैलेव्हर वर्ष के स्रगते परवर्ती वर्ष के आलवरी पाह के प्रयम जिन को धायता उसके यात्र प्रारंभ होने बाले ''पिख़से. क्यूं' में प्राप्त होने वाली धाय के संबंध में;

(बा) धाईलैच्ड में, जिस बर्च में धनुसमर्यम के दस्सावेजो का धादान-प्रवान किया जाता है, उस कैलेण्डर वर्ध के ध्रमभे परवर्त्ती वर्ष के जववरी माष्ट्र के प्रथम दिन को ध्रथया उसके बाद प्रेंगरम्म होने वाले "कर वर्षी" ध्रयवा "सेखा ध्रयधियों" में प्राप्त होने वाली धाम के संबंध में, लागू होगा।

धनुच्छेच 29

ः समाप्ति

यह धमिसमय ग्रनिस्चित काल तक लागू रहेगा, परस्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इस ग्रभिसमय के लागू होने के वर्ष से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद किसी भी कैलेण्धर वर्ष में 30 जून को ग्रयवा उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को राजनयिक माध्यम से समाप्ति का लिखित नोटिस देकर इस धभिममय को समाप्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति में, यह धभिसमय:---

- (क) चारत में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उस कैसेल्वर व वं के ध्रयफे परवर्ती वर्ष के जमवरी माह के प्रवम दिन को खबवा उसके बाद धारम्म होने वाले "पूर्ववर्ती वर्षों" में प्राप्त होने वासी साथ के संबंध में;
- (व) वाईसैंग्ड में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उस कैलेण्डर वर्ष के धगले परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को ध्रथवा उसके बाद झारम्भ होने वाले "कर वर्षों" ध्रथवा "लेवा-ध्रवधियों" में प्राप्त होने वाली धाय के संबंध में;

निष्त्रमानी हो आएगा।

जिसके साध्य में, इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिकत् प्राविकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस मणिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत गणराज्य की	याईलैंप्ड राज्य की
सरकार की ओर से	सरकार की कोर से
	एयर ची मार्गल
(विश्वनाथ प्रताप सिंह) वित्त मंत्री	(सिद्धी सपेक्षसिला) विदेश मंत्री

दोहरे कराधान के संबंध में बाईलैंग्ड के राज्य और भारत गणराज्य के बीच हुए धभिसमय की सहमति के बारे में ज्ञापन

यह समझा जाता है कि :

1. इस भ्रमिसमय के भनुष्ठिद 3 के पैराप्राफ 1 (ष) में यथापरि-भाषित "कद" पद का यह म्रथं लगाया जाएगा कि उसमें किमी ऐसी राधि की, जो ऐसे करों से संबंधित किसी पुरू भ्रयता भूल के बारे में देय है जिन पर यह श्रमिसमय लागू होता है भयता जो इन करों के संबंध में लगाया गया कोई म्रयंवण्ड हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

2. इस घभिसमय के घनुक्छेद 10 के पैराप्राफ 5 का यह धर्य नहीं जनाया जाएगा कि वह पाईलैण्ड को, याई रेवेम्पू कोड की बारा 70 बिस के धनुसार सामों के निपटान पर (साम्रांगों के रूप में नहीं) कर समाने दे रोकता है। भाग II-पण्ड 3(i)]

ANNEXURE

3. ग्रनुच्छेद 26 के पैराप्राफ 2 के संदर्भ में, दो सकम प्राधिकारियों के बीज हुग्रा कोई भी करार संविदाकारी राज्यों के ग्रथने-अपने कानूनों में किसी समय-सीमा के होते हुए भी लागू किया जाएगा बशर्ष कि ऐसे करार को लागू करने से संबंधित करदाता को लाभ होता हो।

4. यदि याईसैंड किसी देश के किसी निवासी द्वारा भन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से प्राप्त होने वाली धाय पर कर में उसके 50 प्रतिगत से प्रविक की घटौती संजूर करता है हो, भारत की निवासी जहाजरानी कंपनियों की ऐसी छाय पर कर में, पारस्परिकता के घाधार पर उतनी ही घटौती मंजूर करने की दृष्टि में, इस प्रभिसमय के धनुच्छेद 8 के पैरा 2 पर पुनः विचार किया जाएगा।

मारत गणराज्य की सरकार की भोर से वाईलैण्ड राज्य की सरकार की कोर से

एयर जीफ मार्शल

(बिख्यमाय प्रताप सिंह) वित्त मंत्री (सिद्धी संवेतसिला) विदेश मंत्री

[फाईल सं. 145/4/71-वि.क.म.] वी. मू. एरावि, संयुक्त सविव

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 27th June, 1986

NOTIFICATION

INCOME TAX

G.S.R. 915 (E) :--Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged as required by Article 28 of the said Convention on 13th March, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Thailand,

DESIRING to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income,

HAVE AGREED as follows :

CHAPTER 1

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are :

- (a) In the case of India :
 - (i) the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereinafter referred to as "Indian tax");

(b) In the case of Thailand :

(i) the income tax ; and

(ii) the petroleum income tax,

(hereinafter referred to as "Thai tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has sovereign rights and to the extent that these rights can be exercised therein in accordance with international law, as if such maritime zone is a part of the territory of India;
- (b) the term "Thailand" means the Kingdom of Thailand and includes any maritime area adjacent to the territorial waters of the Kingdom of Thailand which by Thai legislation, and in accordance with international law, has been or may hereafter be designated as an area within which the rights of the Kingdom of Thailand may be exercised;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Thailand as the context requires ;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Thai tax, as the context requires;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or a body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;

and in the case of Thailand, the Minister of Finance or his authorised representative ;

- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership, association and any other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except where the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the contex otherwise requires, have the meaning which it has for the purposes of the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

The second s

SFWhere by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, a quarry, an oil or gas well or other place of extraction of natural resources;
- (g) -a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on ;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activity continues for the same or a connected project for a period or periods aggregating more than 183 days;
- (i) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;
- (j) the furnishing of services, including consultancy services, by a resident of one of the Contracting States through employees or other personnel, provided activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, a person (other than a broker, general commission agent or any other agent of an independent status to whom paragraph 5 applies) acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) he has and habitually exercises in the firstmentioned Contracting State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the firstmentioned State wholly or almost wholly for the enterprise or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. This shall not apply if such broker or agent carries on in that other State an activity described in paragraph 4 wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises which are controlled by or have a controlling interest in it.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itsell, constitute either company a permanent establishment of the other.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other State if it collects premiums in the territory of that State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 5 of this Article.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property (including income from agriculture or forestry) may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The income for profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income or profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to—

(a) that permanent establishment ;

- (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or
- (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income or profits which it might be expected to make if it were a distinct that separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. 8. In the determination of the income or profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the income or profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of a certain percentage of the gross receipts of the enterprise or on the basis of an apportionment of the total income or profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the income or profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No income or profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods of merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the income or profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other Contracting State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to income from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of aircraft or ships.

4. For the purposes of paragraphs 1 and 2, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft.

5. The term "operation of ships or aircraft" shall mean business of transportation of persons, mail, livesteck or goods by the ships or aircraft, including the incidental lease of ships or aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

15

Article 9

Associated Enterprises

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a company which is a resident of the other Contracting State, the tax shall not exceed...

- (a) 15 per cent of the gross amount of dividends, in a case where the company paying the dividends is engaged in an industrial undertaking and the beneficial owner of the dividends is a company of the other Contracting State owning at least 10 per cent of the voting shares of the company paying the dividends :
- (b) in the case not covered by sub-paragraph (a) above, 20 per cent of the gross amount of dividends if the company paying the dividends is engaged in an industrial undertaking or if the beneficial owner of the dividends is a company of the other Contracting State owning at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividends.

3. (a) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares according to the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident. (b) In this Article, the term "industrial undertaking" means an undertaking falling under any of the classes mentioned below :

- (i) manufacturing, assembling and processing ;
- (ii) construction, civil engineering and shipbuilding;
- (iii) production of electricity, hydraulic power or gas or the supply of water ;
- (iv) agriculture, forestry and fishery and the carrying on of a plantation;
- (v) any other undertaking entitled to the privileges accorded under the laws of either Contracting State on the promotion of industrial investment; and
- (vi) any other undertaking which may be declared to be an "industrial undertaking" for the purposes of this Article by the competent authority of the Contracting State in which the undertaking is situated.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar sa such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with e permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed :

 (a) 10 per cent of the gross amount of the interest if it is received by any financial institution (including an insurance company);

(b) in all other cases, 25 per cent of the gross amount of the interest.

and the second second

102 B. 10 102 B. 10 102 B. 10

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if....

- (a) the recipient of the interest is the government, or local authority or the Central Bank of the other Contracting State; or
- (b) the interest is paid to any agency or institution including a financial institution which may be agreed upon for the purposes of this paragraph by the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by martgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing ot a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claims for which it is paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-memory amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the alienation or the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, phonpgraphic records, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a cast, the provision of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in _____

which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital Gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Constracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft which it operates in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 above and Article 12 shall be taxable only in that State.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless such activities were 459 GI/86-3 performed in the other Contracting State. Income in respect of professional services or independent activities performed within that other State may be taxed by that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities performed in the other Contracting State shall not be taxable in the other State if.

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "tax year" concerned, as the case may be.
- (b) the recipient does not maintain a fixed base in the other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in such year, and
- (c) the income is not borne by an enterprise or a permanent establishment situated in that other State.

3. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

 (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "tax year" concerned, as the case may be, and

[PART II-SEC. 3(i)]

- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by an enterprise of the other Contracting State or by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 16

Directors' Fees and Remuneration of Top-Level Managerial Officials

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are performed.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised. 3. Notwithstanding the provisions of Article 7, where the activities mentioned in paragraph 1 of this Article are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State the profits derived from providing these activities by such an enterprise may be taxed in the first-mentioned Contracting State unless the enterprise is substantially supported by the public funds of the other Contracting State, including any political subdivision, local authority or statutory body thereof, in connection with the provisions of such activities.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by public entertainers or athletes if the visit to that Contracting State is substantially supported by public funds of the other Contracting State, including any polⁱtical subdivision, local authority or statutory body thereof.

Article 18

Governmental Functions

1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Bank of Thailand.

Article 19

Non-Government Pensions and Annuities

I. Any pension (other than a pension referred to in Article 18) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the firstmentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or as compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

Students and Apprentices

A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on :

- (a) the grant, allowance or award for the purposes of his maintenance, education or training;
- (b) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (c) remuneration from employment in that first-mentioned Contracting State, in an amount not in excess of Rs. 15,000 or its equivalent in Thai currency during any "previous year" or "tax year", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

Article 21

Professors, Teachers and Research Scholars

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State at the invitation of that other Contracting State or of a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at the university, college, school or other approved institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual for the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "tax year", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "tax year".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

Other Income

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not expressly dealt with in the foregoing Articles may be taxed in that State. Such items of income may also be taxed in the Contracting State where the income arises.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

Elimination of Double Taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. The amount of Thai tax payable, under the laws of Thailand and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or bv deduction, by a resident of India, in respect of profits of income arising in Thailand, which has been subjected to tax both in India and in Thailand, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Thailand. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

3. For the purposes of the credit referred to in paragraph 2, the term "Thai tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Thai tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under the provisions of the Investment Promotion Act (B. E. 2520) or of the Revenue Code (B. E. 2481) which are designed to promote economic development in Thailand, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing laws for promoting economic development in Thailand.

4. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Thailand, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and Thailand, shall be allowed as a credit against Thai tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Thai tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.

5. For the purposes of the credit referred to in paragraph 4, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any assessment year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof by the special incentive measures under the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India. 6. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax of the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-Discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both or the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agrrement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or evasion of taxes which are the subject of this Convention. Any information or document received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information or document obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information or document only for such purposes. They may disclose the information or document in public court proceedings or in judicial decisions.

2. The exchange of information or document shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Diplomatic and Consular Activities

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreement.

CHAPTER VII

FINAL PROVISIONS

Article 28

Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Bangkok as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and shall have effect :

- (a) in India, in respect of income derived during the "previous years" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged ;
- (b) in Thailand, in respect of income derived during "tax years" or "accounting periods" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calender year in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination on or before June 30th of any calendar year after the expiration of five years from the year in which the Convention entered into force. In such event, the Convention shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income derived during the "previous years" beginning on or or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Thailand, in respect of income derived during "tax years" or "accounting periods" beginning on or after the first day of

January of the calendar year next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly apphorised thereto by their respocetive Governments, have signed this Convention.

Done at New Delhi on this 22nd day of March, one thousand nine hundred and eighty five, in six originals, two each in the Hindi, Thai and English languages, all texts being equally authentic, except in case of divergence when the English text shall prevail.

For the Government of Republic of India

> For the Government of the Kingdom of Thailand Air Chief Marshal

(VISHWANATH PRATAP SINGH)

Minister of Finance

(SIDDHI SAVETSILA) Minister of Foreign Affairs

Memorandum of Understanding with respect to the Double Taxation Convention between the Kingdom of Thailand and the Republic of India

It is understood that :

1. The term "tax" as defined in paragraph 1(d) of Article 3 of this Convention shall be interpreted not to include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. Nothing in paragraph 5 of Article 10 of this Convention shall be construed so as to prevent Thailand from imposing tax on the disposal of profits (not in the form of dividends) in accordance with Section 70 bis of the Thai Revenue Code.

3. With reference to paragraph 2 of Article 26, any agreement reached by the two competent authorities shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States provided that the implementation of such agreement will be beneficial to the tax-payer concerned.

4. In case Thailand grants reduction from tax of an **G**anount more than 50 per cent thereof on income derived from the operation of ships in international traffic by a resident of any country, paragraph 2 of Article 8 of the Convention shall be reconsidered with a view to granting, on the basis of reciprocity, the same reduction from tax on such income of shipping companies which are residents of India.

For the Government of Republic of India For the Government of the Kingdom of Thailand Air Chief Marshal

(VISHWANATH PRATAP SINGH) Minister of Finance

> (SIDDHI SAVETSILA) Minister of Foreign Affairs

> > [F. No. 145|4|71-FTD]

Notification No. 6780 V. U. ERADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELIHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986